# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 27/2017

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. ओमप्रकाश पुत्र ढगलाराम<br>2. किशनाराम पुत्र लुम्बाराम<br>3. पेमाराम पुत्र लुम्बाराम<br>4. समदुड़ी पुत्र हापुराम<br>5. शारदा पुत्री हापुराम<br>6. कमली पुत्री हापुराम<br>जाति–मेघवाल,<br>निवासी–खेड़ारामगढ,<br>तहसील–जैतारण। | | 1. बींजा पुत्र बालूजी जाति–मेघवाल,<br>निवासी खेड़ारामगढ तहसील–जैतारण<br>जिला–पाली राज.।<br>2. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी<br>राजस्थान सरकार। |

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.23/02/2017

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 26/12/2019

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा खेड़ारामगढ, पटवार हल्का–सांगावास तहसील–जैतारण में प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1458 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। प्रार्थीगण के अपने खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1458 रकबा 05 बीघा में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता खेड़ारामगढ से निमाज जाने वाली सड़क के पास उत्तरी तरफ स्थित खसरा नंबर 1457 रकबा 03 बीघा, जो कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम की खातेदारी का है जिसकी पूर्वी माठ से बिन्दू ए, बी, सी, डी होकर विन्दू सी, डी तक जाता है। जो एक मात्र प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में रास्ते को हरें रंग से दर्शाया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खेत में खेडारामगढ से निमाज जाने वाली सड़क के पास उत्तरी दिशा में अप्रार्थी का खेत है जिसका पूर्वी मांठ से होकर अपने खेत खसरा नंबर 1458 की खड़ाई, बुवाई काश्त आदि हेतु स्वयं तथा ट्रैक्टर बैलगाड़ी आदि आते जाते है जो रास्ता प्रार्थीगण पीढियों से अपने बाप दादा के समय से काम में लेते आ रहे है मौके पर रास्ता के आलामात है जो नक्शे में हरे रंग से दर्शाया है उक्त रास्ता मौके पर चौड़ाई में 20 फिट व लम्बाई में करीब 270 फिट है उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होकर के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी कई बार रास्ते को बन्द करने पर आमादा होते है रास्ते से खेत में जाने बाबत बाधा अड़चन आदि करते है। कई बार रास्ते पर कांट आदि डाल देते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता का विकल्प नहीं है। इसलिए विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं प्रार्थीगण को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1458 के खेत में जाने के लिये नजरी नक्शे में बताये हरे रंग से बिन्दू ए बी रास्ते से ट्रैक्टर से खाड़ाई करने हेतु दिनांक 12.02.2017 को जाने लगे तो अप्रार्थीगण मौके पर प्रारम्भिक बिन्दू ए बीप र खन्दक लगाने लगे, अंग्रेजी बबूल के कांटे डालकर बन्द करने लगे तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को काफी समझाईश की, परन्तु अप्रार्थी नहीं माना तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में रास्ता कायम करने बाबत् यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेत में से आने जाने हेतु एकमात्र रास्ते को बन्द कर देते है तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में काश्त करने से वंचित होगे, अपूर्णीय क्षति होगी प्रार्थीगण के पास अन्य रास्ते का विकल्प नहीं होने से पक्षकारान के बीच अनावश्यक विवाद बढेगा, जिसे रोकने हेतु प्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानों के तहत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण जितनी भूमि रास्ता हेतु लेता है उस एवज में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में से भूमि देने को तैयार है इसके अतिरिक्त भी अप्रार्थी की भूमि में से जितनी भूमि रास्ते में जाती है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को डीएलसी रेट की रकम अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण श्रीमान के क्षेत्राधिकार में रहने वाले है इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र सुनवाई का श्रवणाधिकार होने रो यह प्रार्थनापत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 के बावजुद नोटिसेज सूचना के अनुपस्थित रहने रो इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त संबंध में तहसीलदार जैतारण को क्रमांक/कोर्ट/2019/393 दिनांक 03/06/2019 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार जैतारण ने रिर्पोट प्रस्तुत की कि ग्राम–खेड़ारामगढ के खसरा नंबर 1458 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिनमें आवागमन हेतू वर्तमान में रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण पूर्व में खसरा नंबर 1457 की भूमि की माठ से आया करते थे। जिसे खसरा नंबर 1457 के खातेदार ने बन्द कर दिया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार रास्ता हेतु खसरा नंबर 1457 में से 185 फुट × 13 फुट यानि 03 बिस्वा भूमि प्रस्तावित की है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। ग्राम–खेड़ारामगढ की उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि की वर्तमान बाजार दर डी.एल.सी. 27576/– रूपये प्रति बीघा है।

*कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 251 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार –*

*"(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "*

*उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।*

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट अनुसार एवं अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार किसी कृषक को अपनी जौत तक आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर नजदीकी खातेदारी भूमि जिसमें कम से कम दूरी हो उसमें से आने जाने का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मय प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 1457 में से 03 बिस्वा, रकबा बनता है। नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। लिहाजा प्रार्थी को खसरा नम्बर 1458 में आने व जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1457 में से 03 बिस्वा, जिसकी वर्तमान अधिकत्तम डीएलसी दर 27576 रू. प्रतिबीघा है। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए 8272/- रू0 प्रार्थीगण से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करने एवं खसरा नम्बर 1457 में रकबा 03 बिस्वा का सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। सरदह मौजा-खेड़ा रामगढ, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 1457, रकबा 03-00 बीघा, बारानी अव्वल में से 185 फिट लंबा एवं 13 फिट चौड़ा, जिसका कुल रकबा 03 बिस्वा है इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैर मुमकिन रास्ता, सिवाय चक दर्ज किए जानें के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खसरा संख्या 1457 की प्रचलित डी.एल.सी दर 27576/- प्रति बीघा के आधार पर नियमानुसार डी.एल. सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते के कुल रकबा 03 बिस्वा का कुल राशि 8272/- (अक्षरे आठ हजार दो सौ बहत्तर रूपये मात्र) प्रार्थीगण से वसूलकर अप्रार्थी को भुगतान करें। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं। यदि अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावे, अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलंब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/12/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.31 16:31:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: